मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्र.प्राविवि/ट्रायबल/संविसं/2019/2854 भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 2019

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- छिन्दवाड़ा, बुरहानपुर, खण्डवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन, धार, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, डिण्डोरी, होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, श्योपुर म.प्र.।

विषय : **9 अगस्त "विश्व आदिवासी दिवस 2019" से अनुसूचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता (financial inclusion and literacy) अभियान चलाने विषयक ।**

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष 9 अगस्त "विश्व आदिवासी दिवस" से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों (89 विकास खण्डों) में अनुसूचित जन जाति हेतु वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता (financial inclusion and literacy) अभियान चलाया जाए। जिसकी विस्तृत रूपरेखा निम्नानुसार है:-

1. जिला/विकास खण्ड स्तरीय बैठक का आयोजन

- दिनांक 7 अगस्त, 2019 को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें उपरोक्त विषय पर विस्तृत चर्चा कर जिले में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की जाये।
- सभी आदिवासी विकास खण्डों में 8 अगस्त, 2019 को ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी (BLBC) की बैठक का आयोजन किया जाये।
- बैठक में वित्तीय साक्षरता, जनधन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, नया जनधन खाता खोलना, आधार सीडिंग एवं प्रमाणीकरण तथा रूपे कार्ड आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा किया जाये एवं कार्यक्रम की सफलता हेतु माइक्रो प्लान तैयार किया जाये।
- अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा बैंकवार एवं ब्लॉकवार वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की रूपरेखा DLCC एवं BLBC की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

2. वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन हेतु कार्यक्रम की योजना

अवधि - प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 30 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम दिनांक 16 अगस्त से 15 सितम्बर (कुल 30 दिवस) तक ग्राम पंचायतवार संचालित किया जाना है।

टीमगठन - 3 सदस्यीय टीम, जिसमें पंचायत समन्वयक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं उस क्षेत्र के बैंक मित्र (बी.सी.) / SRLM-CRP (State Rural Livelihood Mission-Common Resource Person) का गठन किया जाये। ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक भी संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

तिथिवार कार्यक्रम - प्रति ब्लॉक लगभग 30 वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम तिथिवार एवं टीमवार तैयार किया जाये।

प्रशिक्षण- तीन सदस्यीय टीमों का प्रशिक्षण उस जिले के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) में कराया जाये। जिससे वे ग्रामवासियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान कर सकें।

प्रशिक्षण सामग्री- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश के बेवसाईट www.slbcmadhyapradesh.in/financial-literacy.aspx (download financial literacy

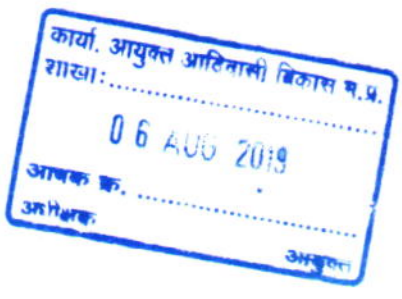

material in Hindi) से डाउनलोड की जाए। SLBC द्वारा तैयार जनधन योजना से संबंधित FAQ इस पत्र के साथ भेजे जा रहे हैं।

3. टीमों द्वारा किये जाने वाले कार्य

क. वित्तीय साक्षरता

- प्रशिक्षण प्राप्त टीमों द्वारा ग्रामवासियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान किया जायेगा।

ख. जनधन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा

- जिन अनुसूचित जाति हितग्राहियो के पूर्व से प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते हैं और जो 6 माह से सक्रिय है, वैसे हितग्राहियों के सहमति से उनकों अधिकतम रुपये 10000/- (दस हजार मात्र) तक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा का लाभ लेने हेतु आवश्यक फार्म भरवाना।
- हितग्राहियों को ओवरड्राफ्ट पर लगने वाले ब्याज दर एवं खाते में लेन-देन जारी रखने हेतु जानकारी प्रदान की जाये।
- प्रत्येक ग्राम के अनुसूचित जन जाति के बचत बैंक खातेदारों की सूची समग्र पोर्टल से डाउनलोड की जाए एवं संबंधित बैंक को दी जाए। संबंधित बैंक उनमें से जनधन खातों को चिन्हित करेंगे। यह सूची ग्राम-वार हितग्राहियों के शत-प्रतिशत कवरेज के लिये उपयोगी होगी।
- जिन हितग्राहियों के खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना में नहीं है एवं वे ओवरड्राफ्ट सुविधा चाहते हैं तो उनके जनधन खाते खुलवाये जाये। अगर हितग्राही का अन्य कोई बचत खाता है, तो वह खाता 30 दिनों में अथवा त्वरित बन्द करना होगा।

ग. आधार सीडिंग एवं रूपे कार्ड जारी करना

- जिन हितग्राहियों के खाते खुले हुए है एवं उन खातों में आधार प्रमाणिकरण नहीं हुआ है उनके आधार सीडिंग हेतु सहमति पत्र (consent-form) भरा जाना एवं e-kyc किया जाना है।
- जिन हितग्राहियों के जनधन खाते में रूपे-कार्ड जारी नहीं किये गये है, उन खातों में रूपे-कार्ड जारी करवाना एवं एक्टिवेट करवाना तथा इसके लाभ से संबंधितों को अवगत कराया जाना।
- ऐसे जनधन खाते जिसमें रुपे-कार्ड जारी किये जा चुके हैं उन्हें सक्रिय करवाना।

4. अभियान का प्रचार प्रसार

- प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट्स का प्रारूप अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग द्वारा पृथक से जिलों को भेजे जायेंगे। इन पम्पेलट्स की प्रीन्टिंग कराकर गांवों में वितरण कराया जाये।
- पंचायत सचिवों/ कोटवारों के द्वारा विकास खण्ड एवं ग्रामों में इस अभियान का प्रचार-प्रसार कराया जाये।
- प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से अभियान की जानकारी प्रदान की जाये।
- संबंधित बैंक शाखाओं में बैनर प्रदर्शित की जाये।

5. वित्तीय व्यवस्था

- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पर होने वाला व्यय संबंधित बैंकों द्वारा अधिकतम रुपये 5000 प्रति कार्यक्रम वहन किया जाना है, जिसकी प्रतिपूर्ति नाबार्ड से की जायेगी।
- LDM द्वारा ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय बैंकवार वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रेषित किया जायेगा, ताकि NABARD से इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च (प्रति कार्यक्रम रुपये 5000) की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सके।

6. अधिकारियों के दायित्व

- जिला स्तर पर इस अभियान के नोडल अधिकारी सी.ई.ओ. जिला पंचायत रहेंगे एवं अभियान की सतत् समीक्षा करेंगे।
- जिला कलेक्टर द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय किया जायेगा। अग्रणी जिला प्रबन्धक (LDM) एवं आदिमजाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी सहायक नोडल के रूप में उनका सहयोग करेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर सी.ई.ओ. जनपद पंचायत इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी रहेंगे।
- राज्य स्तर पर अभियान की समीक्षा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें करेंगे। प्रतिदिन की प्रगति सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा उन्हें dirtadp@mp.gov.inपर निर्धारित प्रारूप में ई-मेल से भेजी जायेगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(अनुराग जैन)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. प्राविवि/ट्रायवल/संविसं/2019/2855 भोपाल, दिनांक /05/08/ 2019

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
4. आयुक्त, संस्थागत वित्त।
5. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग,
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल
7. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, भोपाल
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश
9. आयुक्त आदिवासी विकास।
10. संभागीय आयुक्त इन्दौर, जबलपुर, नर्मदापुरम् (होशंगाबाद), उज्जैन, रीवा, चम्बल(मुरैना)
11. संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय निकाय योजनाएं।
12. संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास इन्दौर, जबलपुर, नर्मदापुरम्(होशंगाबाद), उज्जैन, रीवा, चम्बल(मुरैना) संभाग म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खण्डवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन, धार, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, डिण्डोरी, होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, श्योपुर।
13. अग्रणी जिला प्रबन्धक, छिन्दवाड़ा, बुरहानपुर, खण्डवा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन, धार, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, डिण्डोरी, होशंगाबाद, बैतूल, रतलाम, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, श्योपुर म.प्र.
14. जनसम्पर्क अधिकारी, संभागवार, ... को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अनुराग जैन)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रधानमंत्री जन-धन योजना - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न*

* राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार

1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो लोगों को वित्तीय सेवाओं जैसे बचतखाते में लेन-देन,पैसे का एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरण , ऋण, बीमा, पेंशन आदि तक पहुंच सुनिश्चित करताहै।

2. इस योजना के अंतर्गत कहां खाता खोला जा सकता है?

खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है।

3. प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

a) यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः **मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड।** यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये "पहचान तथा पते का प्रमाण" दोनों का कार्य कर सकता है।

b) यदि किसी व्यनक्ति के पास उपर्युक्तं वर्णित "वैध सरकारी कागजात" नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा 'कम जोखिम' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्न लिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है।

- केंद्र/राज्यसरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
- उक्त व्यक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।

4. यदि किसी के पास खाता खोलने के लिए वैध सरकारी कागजात नहीं हैं। क्या फिर भी बैंक में खाता खोला जा सकता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी दिनांक 26.08.2014 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से निम्नानुसार स्पष्ट किया है:
"जिन व्यक्तियों के पास कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है, वे बैंक में 'लघु खाते'खोल सकते है। 'लघु खाता' स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ के आधार पर और बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर या अंगूठे का निशान लगाकर खोला जा सकता है। ऐसे खातों की सकल जमा (एक वर्ष मे एक लाख से अधिक नहीं), सकल आहरण (एक महीने में 10,000 रुपए से अधिक नहीं) और खातों में शेषराशि (किसी भी समय 50,000 रुपये से अधिक नहीं) के संबंध में सीमाएं हैं। ये लघु खाते सामान्यत: बारह महीनों की अवधि के लिए वैध होंगे। तत्पश्चात ऐसे खातों को और बारह महीनों के लिए जारी रखने की अनुमति होगी